an>

Title: Need to strengthen the banking system in rural areas.

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : सभापति जी, आपने मुझे ज़ीरो आवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, रिजनल रूरल बैंक्स एक्ट वर्ष 1976 में इनैक्ट हुआ। इसके 40 वर्ष हो गए हैं। उसके तहत उस समय ग्रामीण इलाकों में करीब 196 बैंक थे। उसका उद्देश्य यह था कि ग्रामीण इलाकों में आम नागरिकों को, गरीबों को, किसानों को बैंकिंग की सुविधा मिले। लेकिन, धीरे-धीरे मर्ज़र की थ्योरी पर चलते-चलते अभी मात्र 56 बैंक रह गए हैं। मेरा निवेदन है कि अगर हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जन-धन योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना और अन्य विकास की जो योजनाएं हैं, उसका फायदा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिले, तो हमें ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सिस्टम को सुदृढ़ करना पड़ेगा।

इसके लिए वित्त मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि इस संबंध में हमारा जो एम.पी.एल.ए.डी. का पैसा है, उसे अगर हमें रिजनल रूरल बैंकों में जमा कराने की परमिशन होगी, तो वे बैंक और भी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। यही नहीं, ग्रामीण विकास का जो पैसा डायरेक्टली जाता है, अगर वे भी रिजनल रूरल बैंकों में रहें, तो वे बैंक और भी अच्छी तरह से सर्विसेज दे पाएंगे। आज की तारीख में कॉमर्शियल बैंकों में पैसा रहता है, परन्तु ज्यादातर कॉमर्शियल बैंक ग्रामीण इलाकों में ऑपरेट नहीं करते हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस तरफ ध्यान दें और कार्रवाई करें।

HON. CHAIRPERSON : Dr. Manoj Rajoria, Shri Bhairon Prasad Mishra, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and *m05 Shri Prahlad Singh Patel are permitted to associate with the issue raised by Shri P.P. Chaudhary.